21 / प्रा०पत्र / 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कमलेश बनाम किशनलाल वगैरह निर्णय दिनांक 28-9-22
28-9-22	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित पूर्व पेशी पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 ख R.T.A. पर बहस उभयपक्ष सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थना-पत्र की चरण स. 2 मे वर्णित आराजी प्रार्थी 1/2 हिस्से का सहखातेदार है। अप्रार्थी स. 3 अजनबी व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा उसका 1/2 हिस्सा अप्रार्थी स. 3 को आधौली काश्त पर दिया गया लेकिन अप्रार्थी स. 3 के मन मे बदयान्ती आ जाने से उपज का आधा हिस्सा देने से इन्कार कर दिया। और अतिक्रमी के रूप में काबिज है। अप्रार्थी स. 1 के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य मनगढत और बनावटी है सहखातेदारी कृषि भूमि पर कब्जा मुखालफाना का सिद्धान्त लागू नही होता है अप्रार्थी स. 1 द्वारा पारिवारिक बटवारा का जो अभिवेचन किये गये है वो पूर्णतया मिथ्या है। अप्रार्थी स. 3 अवैधानिक व बिना किसी सहअधिकार के काबिज होकर कृषि लाभ प्राप्त कर रहा है जिसका अप्रार्थी स. 3 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होता है अन्त मे प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे व अप्रार्थी स. 1 का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे। क्रमशः-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी स. 1 के मध्य पारिवारिक बटवारा हो गया था जिसके मुताबिक अप्रार्थी स. 1 के हिस्से मे खसरा नम्बर 249, 250, 257 व प्रार्थी के पिता के हिस्से में खसरा न. 261 व ख.न. 271 जो अप्रार्थी स. 1 के गैरखातेदारी मे दर्ज है हिस्से में आयी थी। ख.न. 271 को प्रार्थी के पिता द्वारा अप्रार्थी स. 3 को बेचान कर दिया अन्त में प्रार्थना की गई कि अप्रार्थी स. 1 का काउन्टर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे।	
	हमारे द्वारा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 खाता स. 25 में वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में अप्रार्थी स. 3 को ½ हिस्से पर अतिक्रमी बताकर रिसीवर नियुक्त किये जावे की प्रार्थना की गई। इसी सन्दर्भ में अप्रार्थी स. 1 द्वारा भी ख.न. 271 पर रिसीवर नियुक्त किये जाने की प्रार्थना अप्रार्थी स. 1 द्वारा की गई।	
	अप्रार्थी स. 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र व साक्ष्य सबूत पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है अप्रार्थी स. 3 द्वारा वाद	

147

सहयोग उपस्थित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	विवादक बाबत अप्रार्थी सं.3 के हितो पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है अप्रार्थी सं.3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। उभयपक्षो के प्रार्थना-पत्र मे किये गये अभिवचनो व शपथ-पत्र के आधार पर यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि अप्रार्थी सं.3 वाद विवादक आराजी पर बिना किसी सह आधिकार काबिज होकर अवैध रूप से कृषि लाभ प्राप्त कर रहा है जबकि कृषि लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्रार्थी व अप्रार्थी सं.1 को विधिक रूप से प्राप्त है। प्रार्थी एव अप्रार्थी सं.1 के हितो की सुरक्षा बाबत वाद विवादक आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी सं.1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख.न.249 रकबा 0.28 हैक्टर ख.न. 250 रकबा 0.74 हैक्टर ख.न.257 रकबा 0.60 हैक्टर ख.न.261 रकबा 0.32 हैक्टर व ख.न.271 रकबा 0.74 हैक्टर वाके ग्राम कारेरिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी बाबत तहसीलदार इन्द्रगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विवादित आराजी को कब्जे राज लिया जाकर प्रत्येक कृषि वर्ष मे नीलामी बोली आम लगवाकर कृषि काश्त की व्यवस्था करावे तथा नीलामी राशी नियमानुसार अमानत मद मे राजकोष मे जमा कराई जावे।

क्रमशः

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
आदेश की पालनार्थ तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश प्रति मय तहरीर अभिलेख जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	